# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक– 2084/री –2/भू. अ./2016 खण्डवा, दिनांक– **22.8.2016**

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा 19 उद्घोषणा** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्।

प्रकरण कमांक 9/अ–82/15–16 जावर तहसील **खण्डवा**

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा 19 उद्घोषणा** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **धारा 19 उद्घोषणा** की दो प्रतियां (एकमूल एक फोटो प्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

Sub Divisional Officer (Revenue) KHANDWA

पृ.क्रमांक– 2085/री –2/भू. अ./2016 खण्डवा, दिनांक– **22.8.2016**

**प्रतिलिपि–**

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर **धारा 19 उद्घोषणा** की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप मुंख्य इंजीनियर (निर्माण 1), पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल ओर **धारा 19 उद्घोषणा** की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । प्रकाशन प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकाशन व्यय रेल्वे विभाग व्दारा वहन किया जावेगा ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **धारा 19 उद्घोषणा** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** कराने का कष्ट करे।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापिस भिजवाने की व्यस्था करें।
   1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
   2. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
   3. ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर
   4. ग्राम **जावर** की चौपाल पर

(शाश्वत शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्र08 एलए./2016
भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 09/अ–82/15–16 खण्डवा, दिनांक 22/08 /2016

## //उद्घोषणा//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः–

## //अनुसूची//

1) **भूमि का वर्णनः–**

(क) जिला : **खण्डवा**
(ख) तहसील : **खण्डवा**
(ग) ग्राम : **जावर**
(घ) अर्जित रकबा : **1.384 हेक्टेयर**

| खसरा कमांक | अर्जित रकबा |
|---|---|
| 26/4 | 0.432 |
| 26/7 | 0.216 |
| 26/6 | 0.216 |
| 26/1 | 0.120 |
| 26/3 | 0.400 |
| **कुल योग 05** | **1.384** |

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, **तलवडिया स्टेशन के पास ग्राम जावर में उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य. हेतु।**

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा तथा **उप–मुख्य इंजीनियर (निर्माण 1) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के** कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

( स्वाती मीणा नायक )
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा

Sub Divisional Officer (Revenue) KHANDWA